

वनप्रतिपूरक वनीकरण कोष →

पट्टे की व्यवस्था →

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार,

हर राज्य में CAMPA का गठन.

↓

Compensatory Afforestation
fund Management and Planni-
ng Authority (प्रतिपूरक वनीकरण
कोष प्रबंधन एवं नियोजन
प्राधिकरण)

⇒ किसी भी राज्य में वनभूमि के
विचलन से जमा की गयी धन
राशि का प्रबंधन और प्रतिपूरक वनी-
करण में उपयोग करने की जिम्मेदारी

CAMPA को दी गयी।

2016 के प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधि-
नियम के लागू होने के बाद राज्य-
स्तरीय CAMPA की जगह राज्य स्तरीय
प्रतिपूरक वनीकरण कोष ने ले ली
है।

2 प्रकार के प्रतिपूरक वनीकरण कोष,

दोनों ही सार्वजनिक लेखा (Public
Account) के अंतर्गत आते हैं -

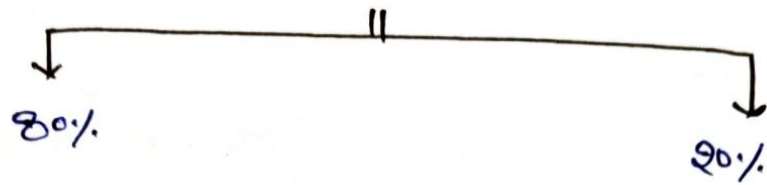
↓
केन्द्र स्तरीय

↓
वन शुल्क के विचलन
से प्राप्त की गयी
धनराशि का 10%
केन्द्रीय कोष के
द्वारा रखा जाता
है।

↓
राज्य स्तरीय

↓
प्राप्त की गयी
धनराशि का 90%
राज्य स्तरीय कोष
के द्वारा रखा
जाता है जिसके
उपयोग का

पैटनी निम्नलिखित है-



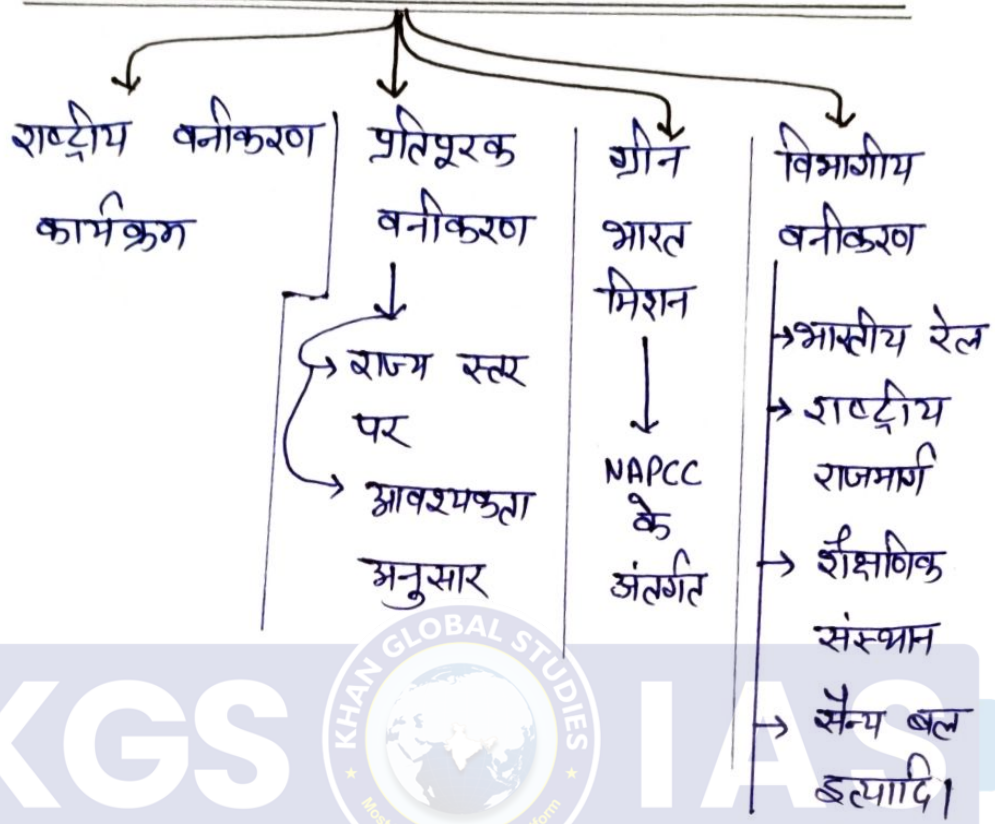
प्रत्यक्ष रूप से वनों
और वन्यजीवों के
संरक्षण और संवर्द्धन
की गतिविधियों में

(अप्रत्यक्ष उपयोग)
वन्य क्षेत्र और
वन्यजीवों से जुड़ी
अवसंरचना विकास,
क्षमता विकास इत्यादि।

वन अधिकार अधिनियम

Ministry of Tribal Affairs के
द्वारा अधिशासित।

भारत में वनीकरण के मुख्य कार्यक्रम



5 उपमिशन → ग्रीन भारत मिशन के अंतर्गत

- ① वन गुणवत्ता को बढ़ाना
- ② पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना
- ③ शहरी वृक्ष आवरण
- ④ कृषि वानिकी
- ⑤ आई श्रम की पुनर्स्थापना

⇒ भारत के NDC लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

⇒ मिशन के क्रियान्वयन के दौरान रोजगार अवसरों का सृजन।

